**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न सं. \*331**

**03.04.2017 को उत्‍तर के लिए**

**विद्युत कंपनियों में रखा हुआ**

**विषाक्त र्इ-कचरा**

**\*331.** **श्री टी. रतिनावेल**:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश भर की सभी विद्युत कंपनियों में भारी मात्रा में फेंकने लायक विषाक्त र्इ-कचरा रखा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने उक्त विद्युत कंपनियों को पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना इस र्इ-कचरे का निपटान करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विद्युत कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया रही है?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

1. से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

\*\*\*\*\*\*\*

**‘विद्युत कंपनियों में रखे हुए विषाक्त र्इ-कचरे’ के संबंध में श्री टी. रतिनावेल द्वारा दिनांक 03.04.2017 को उत्‍तर के लिए पूछे गए राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. \*331 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण ।**

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास देश की विद्युत कम्‍पनियों में फेंकने लायक विषाक्‍त ई-कचरा रखे जाने के बारे में सूचना उपलब्‍ध नहीं है। तथापि, विद्युत उत्‍पादक इकाइयों में विभिन्‍न प्रकार के विशिष्‍ट इलेक्‍ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल उपकरण लगे हुए हैं जो अपने कार्यकाल की समाप्ति पर ई-कचरा बन जाएंगे। ई-अपशिष्‍ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार, इलेक्‍ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल उपकरणों के बड़े उपभोक्‍ता होने के कारण सभी विद्युत कम्‍पनियों का यह दायित्‍व है कि वे ई-कचरे को अधिकृत संग्रहण केंद्रों में ही सौंपकर उसका निर्धारित तरीके से निपटान करें। राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान न्‍याय पीठ के निर्देशों के अनुसरण में, दिल्‍ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने विद्युत वितरक कम्‍पनियों-बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड और बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड-की दस संस्‍थापनाओं का निरीक्षण किया है और उनमें ई-कचरा न रखे होने की सूचना दी है।

(ग) और (घ) सरकार ने ई-कचरे के निपटान के लिए विद्युत कम्‍पनियों को कोई विशिष्‍ट निदेश नहीं दिए हैं। तथापि, ई-कचरे के निपटान की पर्यावरण-अनुकूल व्‍यवस्‍था करने के‍ लिए मार्च, 2016 में ई-अपशिष्‍ट (प्रबंधन) नियम, 2016 अधिसूचित किया गया है। इस नियम के उपबंधों में समर्पित विस्‍तारित उत्‍पादक दायित्‍व (ईपीआर), ई-कचरे के संग्रहण और पुनर्चक्रण को सुगम बनाने के लिए उत्‍पादक उत्‍तरदायित्‍व संगठनों तथा ई-कचरा केन्‍द्रों की स्‍थापना, इलेक्‍ट्रॉनिक उत्‍पादों के सुरक्षित निपटान के लिए उनके बड़े उपभोक्‍ताओं को विशिष्‍ट जिम्‍मेदारी सौंपना, इलेक्‍ट्रॉनिक कचरे के संग्रहण के लिए आर्थिक प्रोत्‍साहन देना शामिल हैं। इस दिशा में जो अन्‍य उपाय किए गए हैं, उनमें इलेक्‍ट्रॉनिक कचरे के संग्रहण एवं चैनेलाइजेशन के लिए इलेक्‍ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल उत्‍पादों के उत्‍पादकों के दायित्‍व का निर्धारण भी शामिल है। विद्युत कम्‍पनियां इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरणों की बड़ी उपभोक्‍ता हैं। ई-अपशिष्‍ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार, इन कम्‍पनियों के लिए यह अपेक्षित है कि वे अपने रिकॉर्ड का रख-रखाव करें तथा संबंधित राज्‍यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्‍तुत करती रहें।

\*\*\*\*\*